

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/129/17

वउनवान

1. जगन्नाथ पुत्र बिहारी जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
तहसील कटूमर जिला अलवर

-----वादी

बनाम

1. घीसा पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
2. रामफल पुत्र घीसा जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
तहसील कटूमर जिला अलवर

-----प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :- श्री राधावल्लभ शर्मा एडवोकेट - वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक : 17.05.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 618/805 रकबा 0.30 है0 ग्राम भोजपुरा तहसील कटूमर में स्थित है। वादी विवादित आराजी में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को खुलेआम धमकी दी है कि वे विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करने नहीं देंगे, उपयोग एवं उपभोग करने नहीं देंगे। अतः वादीगण ने दावा डिकी कर विवादित आराजी में प्रतिवादीगण को किसी किरम की रूकावट एवं मजाहमत पैदा ना करे, खेत की उत्तरी डौल को तोडकर उक्त आराजी की जमीन को अपने खेत में मिलाकर जबरन वेदखल कब्जा ना करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2069-2072 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली लोक अदालत कोर्ट कैंम्प में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को

अलवर

दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की तन्हा कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर तन्हा वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का किराी किरम का सम्बन्ध व सरोकर नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2069-2072 वाके ग्राम हनीपुर खाता संख्या 11 पर विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी आराजी दर्ज है जिस पर प्रतिवादीगण का अधिकार नहीं है। वाद वादी साबित होने से दावा वादीगण डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण डिकी किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर नम्बर 618/805 रकबा 0.30 है0 ग्राम भोजपुरा तहसील कठूमर पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी दखलअंदाजी नहीं करे। प्रतिवादीगण को रथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें, खेत की उत्तरी डौल को तोडकर उक्त आराजी की जमीन को अपने खेत में मिलाकर जबरन बेदखल कब्जा ना करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 17.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर

खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/129/17

वउनवान

1. जगन्नाथ पुत्र विहारी जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
तहसील कटूमर जिला अलवर

—वादी

बनाम

1. घीसा पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
2. रामफल पुत्र घीसा जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
तहसील कटूमर जिला अलवर

—प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादीगण डिकी किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्वर नम्बर 618/805 रकबा 0.30 है0 ग्राम भोजपुरा तहसील कटूमर पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी दखलअंदाजी नहीं करे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे, खेत की उत्तरी डौल को तोडकर उक्त आराजी की जमीन को अपने खेत में मिलाकर जबरन वेदखल कब्जा ना करे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्वर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आज दिनांक 17.05.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर वो मुहर अदालत जारी की गई।



(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कटूमर